–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 89/2019

उनवान

1. आपू पुत्री हरजी
2. करणा पुत्र हरजी
3. बिरदी पुत्री हरजी
4. रामा पुत्र हरजी
5. कमला पुत्री हरजी समस्त जाति रावत निवासी ग्राम अंसरी, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. सुवा पुत्री मांगू
2. किशना पुत्र नंदा (फौत) तर्क
3. मीठु पुत्र बिरदा
4. जीवराज पुत्र बिरदा
5. ओमा पुत्र बिरदा समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम बिडक्चियावास, पीसांगन
6. मैनेजर सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक शाखा नसीराबाद
7. उप पंजीयक, नसीराबाद
8. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1 व 3 से 5 जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी
7 व 8 जरियें राज. पैराकार

9. घीसा सिंह पुत्र पन्ना
10. नारायण सिंह पुत्र पन्ना
11. लाल सिंह पुत्र पन्ना समस्त जाति रावत निवासी ग्राम असंरी, नसीराबाद
बंशीलाल पुत्र लाला जाति रेगर निवासी ग्राम राजगढ, नसीराबाद

—— प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :– अनुपस्थित

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

–: आदेश :– दिनांक :– 6.12.24

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम असंरी प. म. भीमपुरा में प्रार्थीगण की कयशुदा खातेदारी/काश्तकारी की भूमि स्थित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

चौसाला ख. न.	रकबा	वंर्दिया ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
295	9–1–10	366	[illegible]	445	0.26
296	1–3–0	367	1–3–[illegible]	446	[illegible]
				447	[illegible]
297	0–5–0	368	0–5–0	448	1.22

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:19:47 IST
Reason: SelfAttested

480	3–18–0	587	3–18–0	639	0.19
				640	0.20
				641	0.25

उक्त आराजी चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2025 से 2028 के खाता संख्या 8 में चासैाला खसरा नम्बर खातेदार मांगू पुत्र घीसा डेढ हिस्सा, नाथू पुत्र पिदमण डेढ हिस्सा, मादू व हरजी पुत्र सालू बराबर 1 हिस्सा, किशना पुत्र नन्दा 1 हिस्सा, हजार पुत्र गोपाल 1 हिस्सा सभी का 6 हिस्सा था। जिसमें से प्रार्थीगण के पिता द्वारा दिनांक 11.02.1979 को अप्रार्थी संख्या 2 खातेदार किशना पुत्र नन्दा उर्फ अर्जुन से क्रय की जो अप्रार्थी संख्या 2 2 तथा भागू पुत्र नन्दा से क्रय की तथा खातेदार मादू व हरजी के वारिसान बिरदा से दिनांक 28.03.1979 को क्रय की तथा बिरदा की मृत्यु हो गयी के वारिस अप्राीि संख्या 3 से 5 तथा मेवा पुत्र हरजी से दिनांक 17.17.1978 को क्रय की तथा चतरा पुत्र नेमा व खाजू पुत्र नानू से दिनांक 19.05.1978 को क्रय की तथा मांगू पुत्र घीसा के अतिरिक्त सभी खातेदार से भूमि प्रार्थीगण के पूर्वज हरजी पुत्र भीया व प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 9 से 11 के पिता पन्ना पुत्र भिया द्वारा भूमि क्रय की गयी। जिसमें से कुल 6 हिस्सा भूमि में से साढे 4 हिस्सा भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 9 से 11 के पिता पन्ना पुत्र भींया द्वारा क्रय की गयी। वंर्किग जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 129 व 130 से प्रार्थीगण के नाम व अप्रार्थी संख्या 9 से 11 के नाम खातेदारी दर्ज की गयी। प्रार्थीगण आज भी मौके पर काबिज काश्त है। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा का गलत हिस्सा दर्ज कर दिया गया तथा हाल खसरा नम्बर 445, 446, 447, 448, 639, 640, 641 को अप्रार्थीगण संख्या 1 के नाम अंकन कर दिया, जिस कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 5 आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्य हसतांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण्ण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 5 को जवाब का समुचित अवसर देने के उरान्त भी जवाब पेश नही करने के कारण जवाब बंद किया गया। प्रकरण विचाराधी रहते अप्रार्थी संख्या 2 का नाम फौत होने के कारण तर्क किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

<u>प्रथम दृष्टया मामला :–</u>

हाल खसरा नम्बर 445, 446, 447, 448 व 639, 640, 641 प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी अलग–अलग विक्रय पत्र द्वारा वर्ष 1978 व 1979 में क्रय करना बताया है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण वर्ष 2019 में पेश किया है। प्रार्थीगण का कथन है कि आराजी मुतनाजा पर हिस्सा त्रुटिपूर्ण अंकित हो गया है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम गलत इन्द्राज कर दिया गया है। किन्तु आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज वर्ष 2002 से अंकित है। अप्रार्थीगण हाल राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज है। प्रकरण में ऐसी विषम अथवा विशेष परिस्थितियॉ दृष्टिगोचर नही होती है जिस कारण अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे। आराजी मुतनाजा के त्रुटिपूर्ण अंकन का निर्धारण मूल वाद में उभयपक्ष कर साक्ष्य व सुनवाई के आधार पर किया जाना है। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने [illegible] ...धि[illegible] यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गया [illegible] कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्ष[illegible] प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा के संयुक्त खातेदार है। विषम परिस्थि[illegible]ों के अतिरिक्त रिकार्डेड खातेदार को

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:19:47 IST
Reason: SelfAttested

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य व सुनवाई से ही तय किये जायेगे। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है।

आदेश :– अतः ग्राम असंरी की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:19:47 IST
Reason: SelfAttested